जे.एस.टी. एम.एम. से पहले कुमार, जे

एम/एस स्टैनजेन फार्मास्यूटिकल्स,--याचिकाकर्ता

बनाम

राकेश गुप्ता और अन्य,-प्रतिवादी

2002 का सी.आर. नं. 128

22 अप्रैल, 2002

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस.एस. 114, 148 और 151 - सेवाओं की समाप्ति के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर - प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में असफल रहा और तीन प्रभावी अवसर दिए जाने के बावजूद वादी को लागत का भुगतान करने में भी विफल रहा - ट्रेल कोर्ट ने बचाव पक्ष को खारिज कर दिया -आदेश की समीक्षा, लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय का विस्तार और ट्रायल कोर्ट द्वारा लागत का भुगतान करने की मांग करने वाले प्रतिवादी के आवेदनों को खारिज करना-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-ट्रायल कोर्ट के आदेश मे अनियमितता या अवैधता नहीं है । याचिका खारिज की गई

माना गया कि यह पुनरीक्षण याचिका योग्यता से रहित है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाने योग्य है। 4 दिसंबर, 1997 का आदेश किसी भी भौतिक अनियमितता या अवैधता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, जिसके लिए संहिता की धारा 115 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, अदालत को 4 दिसंबर, 1997 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(7 एवं 8 के लिए)

याचिकाकर्ता के वकील संजीव वालिया।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता विमल कुमार।

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे.

(1) यह अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अंबाला द्वारा पारित 4 दिसंबर 1997 के आदेश के खिलाफ निर्देशित एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के बचाव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लागत का भुगतान नहीं किया गया था और तीन प्रभावी अवसर दिए जाने के बावजूद कोई लिखित बयान नहीं दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका के साथ, परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 14 के साथ पठित धारा 5 के तहत एक आवेदन और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए, संहिता') की धारा 115 के तहत एक आवेदन भी मांगा गया है। 1396 दिनों की देरी के लिए माफ़ी याचिका भी दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रायल कोर्ट में एक अन्य सिविल कार्यवाही पर मुकदमा चलाने में 1411 दिन प्रामाणिक विश्वास में बिताए गए हैं।

2) इस याचिका में उठाए गए विवाद को तय करने के लिए आवश्यक इस मामले की दलीलों में सामने आए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि 17 सितंबर, 1996 का आदेश प्रतिवादी द्वारा पारित किया गया था- प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिनिधि के रूप में वादी-प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करना अवैध, मनमाना, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय आदि के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-याचिकाकर्ता स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को उपरोक्त आदेश को लागू करने से रोकने की माँग करता है। मुकदमे की सूचना दी गई और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता 19 अगस्त, 1997 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हुआ, जब उसके द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए मामले को 30 सितंबर, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 30 सितंबर, 1997 को, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था और मामले को 5 नवंबर, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन का अनुरोध किया गया था और मामले को 4 दिसंबर, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। रुपये का भुगतान लागत के रूप में 300। 4 दिसंबर, 1997 को मांग के बावजूद न तो लागत का भुगतान किया गया और न ही लिखित विवरण दाखिल किया गया जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित हुआ:

“लागत की मांग की गई है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से लिखित बयान भी तैयार नहीं है. एक और तारीख का अनुरोध किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है. चूंकि, प्रतिवादी नंबर 1 पहले ही लिखित बयान दर्ज करने के लिए तीन प्रभावी अवसरों का लाभ उठा चुका है और वह तैयार नहीं है। यहां तक कि इस संबंध में मांग करने के बावजूद वह लागत का भुगतान करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 की रक्षा रद्द कर दी गई है। अब 24 जनवरी, 1998 को पीडब्लू के लिए आने वाला है।"

(3) 4 दिसंबर 1997 के आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दो आवेदन दायर किए। एक आवेदन आदेश की समीक्षा के लिए संहिता की धारा 151 के साथ पठित धारा 114 के तहत दायर किया गया था और दूसरा आवेदन संहिता की धारा 151 के साथ पठित धारा 148 के तहत दायर किया गया था जिसमें लिखित बयान दर्ज करने और रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। इन दोनों आवेदनों को 26 जुलाई, 2001 को अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अंबाला शहर द्वारा खारिज कर दिया गया था और 26 जुलाई, 2001 के आदेश के खिलाफ 2001 का सिविल रिवीजन नंबर 5734 दायर किया गया था।

जिसे भी इस न्यायालय द्वारा 5 नवंबर 2001 को खारिज कर दिया गया है। माननीय श्री न्यायमूर्ति मेहताब एस. गिल द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"सुना।

प्रतिवादी नंबर 1 कैविएटर के विद्वान वकील ने कहा कि 4 दिसंबर, 1997 के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन पर निचली अपीलीय अदालत ने लंबे समय के बाद फैसला किया था, मैंने अतिरिक्त सिविल द्वारा पारित 26 जुलाई, 2001 के आदेश को पढ़ा है। न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), अम्बाला शहर।

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 4 दिसंबर, 1997 के आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया क्योंकि उस आदेश के खिलाफ न तो कोई अपील दायर की गई थी और न ही कोई संशोधन दायर किया गया था। आज तक 4 दिसंबर, 1997 का आदेश अपरिवर्तित बना हुआ है।

मुझे अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), अंबाला शहर द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं मिली। सिविल रिवीजन खारिज किया जाता है।"

(4) मैंने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री संजीव वालिया और वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री विमल कुमार को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5) श्री संजीव वालिया, प्रतिवादी के विद्वान वकील - याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 4 दिसंबर, 1997 के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए संहिता की धारा 151 के साथ पठित धारा 114 के तहत दायर समीक्षा के लिए आवेदन और समय विस्तार की मांग करने वाला आवेदन भी लिखित बयान दाखिल करने और रुपये की लागत के भुगतान के लिए संहिता की धारा 151 के साथ पठित धारा 148 के तहत दायर किया गया आवेदन इन आवेदनों का का मतलब किसी अन्य नागरिक कार्यवाही पर वास्तविक विश्वास के साथ मुकदमा चलाना होगा। इसलिए, उन आवेदनों को आगे बढ़ाने में बिताए गए 1411 दिनों की अवधि को देरी की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए-जैसा कि अधिनियम की धारा 14 में माना गया

है। उन्होंने मैसर्स के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। पंचसील इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, सोनीपत बनाम ज्यूपिटर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड, बॉम्बे (1) और तर्क दिया परिश्रमपूर्वक मुकदमा चलाने के दौरान वकील की गलती, संहिता की धारा 114 के तहत समीक्षा का उपाय या संहिता की धारा 148 के तहत समय के विस्तार का उपाय, वकील द्वारा दी गई सलाह के आधार पर एक सच्चे विश्वास के साथ एक नागरिक कार्यवाही को धारा 14 के अर्थ के भीतर आगे बढ़ाने के समान होगा और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 5 के दायरे में एक पर्याप्त कारण भी बनेगा। यह मानते हुए कि देरी को माफ कर दिया गया है, श्री वालिया ने 4 दिसंबर, 1997 के आदेश को योग्यता के आधार पर यह तर्क देते हुए चुनौती दी है कि एक बार लिखित बयान दाखिल करने के लिए तैयार हो जाने के बाद, उसे रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए था और मामले की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए थी।

(6) दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री विमल कुमार ने तर्क दिया है कि 26 जुलाई, 2001 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दोनों आवेदनों को खारिज करने के आदेश को सिविल रिवीजन नंबर में चुनौती दी गई थी। 2001 का 5734 और पुनरीक्षण याचिका 5 नवंबर, 2001 को खारिज कर दी गई। गुण-दोष के आधार पर, उन्होंने अनुरोध किया कि 4 दिसंबर, 1997 का आदेश श्री आनंद प्रकाश बनाम मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री भारत भूषण राय एवं अन्य (2). उस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि लागत लगाने के आदेश की तारीख के बाद अगली तारीख पर पार्टी द्वारा लागत का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, यह अदालत के लिए अनिवार्य है कि वह बचाव की अनुमति नहीं देगी. इसलिए, अतिरिक्त सिविल जज के पास प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के बचाव को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

7) मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई संबंधित दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और मेरा विचार है कि यह पुनरीक्षण याचिका योग्यता से रहित है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। वादी-प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति श्री आनंद प्रकाश के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से काफी हद तक समर्थित है। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणी इस प्रकार है:

"बहुमत के निर्णय के अनुसार यह माना जाता है कि यदि पक्ष लागत लगाने के आदेश की अगली तारीख पर लागत का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अदालत के लिए बचाव को रद्द करना मुकदमा चलाने की अनुमति नाह देना अनिवार्य है।" जैसा भी मामला हो,। अपराधी पक्ष के खिलाफ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में न्यायालय के सामने कोई अन्य अनावश्यक विचार आड़े नहीं आएगा।

हालाँकि, जहां चूककर्ता पक्ष के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लागत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर चूककर्ता पक्ष के पक्ष में संहिता की धारा 148 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए मामला बनता है।"

8) पूर्ण न्यायाधीश पीठ के फैसले में निर्धारित सिद्धांत यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 4 दिसंबर, 1997 का आदेश किसी भी भौतिक अनियमितता या अवैधता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है जिसमें संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए मुझे 4 दिसंबर 1997 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज करने में झिझक है।

(9) 4 दिसंबर 1997 के आदेश की वैधानिकता के संबंध में मेरे द्वारा अपनाए गए विचार को ध्यान में रखते हुए मैं अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 5 के तहत दायर आवेदन पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझता।

(10) ऊपर दर्ज कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा